न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
164/2025	13.11.2025	18-11-25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप चंदेल जाति खटीक निवासी म0 न0 ए–104 राजीव गांधी नगर कोटा जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– पंकज पुत्र मथुरालाल जाति बागडी निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

2– मथुरालाल पुत्र रणजीत जाति बागडी निवासी ग्राम गलाना तहसील दीगोद जिला कोटा

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री विवके शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट

–:: निर्णय ::–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1–यह कि वाके ग्राम बमूली पटवार हल्का चौमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं० 33 खसरा नं0 9 रकबा 2.66 हे० भूमि स्थित है। उक्त आराजियात मे से 0.32 हे० भूमि दक्षिणी पूर्वी भूमि को इस वाद पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2– यह कि उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 9 रकबा 2.66 हे0 भूमि मे से 0.32 हे० भूमि जर्ये विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 03–11–2025 को वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से खरीद की है तब से वादी काबिज काश्त चला आ रहा है।

3– यह कि वाद पत्र में वर्णित भूमि 0.32 हे० दक्षिणी पूर्वी वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से जयें विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक अधिकारी दीगोद से दिनांक 03–11–2025 को पुस्तक सं० 1 जिल्द सं० 286 पृष्ठ सं० 45 क्रम सं 2025034591008741 पर पंजीबद्ध से प्रतिफल राशि 4,00,000/– रूपये अक्षरे चार लाख रूपयें में क्रय की है। वादी वक्त रजिस्ट्री से उक्त भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

4– यह कि उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम । द्वारा बेचान की गयी थी तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पिता पुत्र होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने शामलाती रूप से वादी को विक्रय पत्र करवा दिया था परन्तु प्रतिवादी क्रम 2 मथुरालाल के द्वारा रहन हटाने की बात कही थी लेकिन रहन नहीं हटाया गया इसलिए प्रतिवादी क्रम 2 के बेचान हिस्से की भूमि के बदले में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की भूमि 0.32 हे० दक्षिणी – पूर्वी भूमि का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

5– यह कि वादी उक्त वाके ग्राम बमूली पटवार हल्का चौमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं० 33 खसरा नं0 9 रकबा 2.66 हे0 भूमि मे से 0.32 हे० भूमि दक्षिणी–पूर्वी भूमि को अपने नाम खाते दर्ज करवाये जाने का हक अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य भूमि का बटवारा किया जाकर वादी का हिस्सा अलग खाते दर्ज किया जावे।

6– यह कि वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की कोई दखलांदाजी नही करें, रहन, बेचान नही करें, प्रतिवादीगण वादी को अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। वादी के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करने का प्रयत्न नहीं करे।

7– यह कि वाद कारण दिनांक 10–11–2025 को वादी ने प्रतिवादीगणों से उक्त विवादित भूमि को अपने नाम खाते दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो जाने के कारण वाद बमुकाम ग्राम बमूली तह० दीगोद में उत्पन्न हुआ।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावे कि

(1) कि वाके ग्राम बमूली पटवार हल्का चौमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं० 33 खसरा नं० 9 रकबा 2.66 हे0 भूमि मे से प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बेचान की गयी भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पिता पुत्र होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने शामलाती रूप से वादी को विक्रय पत्र करवा दिया था परन्तु प्रतिवादी क्रम 2 मथुरालाल के द्वारा रहन हटाने की बात कही थी लेकिन रहन नही हटाया गया इसलिए प्रतिवादी क्रम 2 के बेचान हिस्से की भूमि के बदले में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की भूमि 0.32 हे0 दक्षिणी – पूर्वी भूमि का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(2) कि वाके ग्राम बमूली पटवार हल्का चौमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं० 33 खसरा नं0 9 रकबा 2.66 हे० भूमि का बटवारा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य किया जाकर वादी का हिस्सा 0.32 हे० भूमि दक्षिणी पूर्वी भूमि पृथक से खसरा नं० व लगान तय किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

(3) कि वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की कोई दखलांदाजी नही करें, रहन, बेचान नही करें, प्रतिवादीगण वादी को अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। वादी के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करने का प्रयत्न नही करे।

वादी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1. नकल जमाबन्दी ग्राम बमूली सम्वत 2074–2077 खाता सं0 नया 33
2. विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2025

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री विवके शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से राजीनामा होने से उभय पक्षकारान की ओर से सहमति से राजीनामा क्रमशः दिनांक 14.11.2025 को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओंर से राजीनामा निम्न रूपेण पेश किया गया।

यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान के माननीय न्यायालय में जैरकार है उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिसके तहत निम्न निवेदन करते हैं

1– यह कि वाके ग्राम बमूली पटवार हल्का चौमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं० 33 खसरा नं0 9 रकबा 2.66 हे० भूमि मे से 0.32 हे० भूमि दक्षिणी पूर्वी भूमि स्थित है।

2– यह कि उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 9 रकबा 2.66 हे० भूमि मे से 0.32 हे० भूमि जयें विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 03–11–2025 को वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से खरीद की है तब से वादी काबिज काश्त चला आ रहा है।

3–यह कि उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम । द्वारा चेचान की गयी थी तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पिता पुत्र होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने शामलाती रूप से वादी को विक्रय पत्र करवा दिया था परन्तु प्रतिवादी क्रम 2 मथुरालाल के द्वारा रहन हटाने की बात कही थी लेकिन रहन नहीं हटाया गया इसलिए प्रतिवादी क्रम 2 के बेचान हिस्से की भूमि के बदले में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की भूमि 0.32 हे0 दक्षिणी – पूर्वी भूमि का वादी के पक्ष में इन्तकाल खुलवाये जाने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पूर्णरूप से सहमत है। इसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को कोई ऐतराज नही है।

4–यह कि मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 के हिस्से में से प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की भूमि मे से 0.32 हे० भूमि वादी के नाम खाते दर्ज कर दी जायें तथा वादी के 0.32 हे० भूमि दक्षिणी–पूर्वी भूमि का पृथक से खसरा नं० व लगान तय कर दिये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को कोई ऐतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

6– यह कि उक्त राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 ने आपसी सहमति से एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर माननीय न्यायालय में यह राजीनामा पेश किया है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार दावा डिक्री, निर्णय किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 को कोई आपत्ति नही हैं अतः मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री, निर्णीत किया जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की ओर से सहमति से राजीनामा प्रस्तुत करने पर उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर आदेशिका पर लिये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत सहमति से राजीनामा को वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात तथा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य प्रस्तुत राजीनामा को स्वाकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत हुआ है:–

राजीनामा

यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान के माननीय न्यायालय में जैरकार है उक्त वाद में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिसके तहत निम्न निवेदन करते हैं

1– यह कि वाके ग्राम बमूली पटवार हल्का चौमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं० 33 खसरा नं0 9 रकबा 2.66 हे० भूमि मे से 0.32 हे० भूमि दक्षिणी पूर्वी भूमि स्थित है।

2– यह कि उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 9 रकबा 2.66 हे० भूमि मे से 0.32 हे० भूमि जयें विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 03–11–2025 को वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से खरीद की है तब से वादी काबिज काश्त चला आ रहा है।

3–यह कि उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम । द्वारा चेचान की गयी थी तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पिता पुत्र होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने शामलाती रूप से वादी को विक्रय पत्र करवा दिया था परन्तु प्रतिवादी क्रम 2 मथुरालाल के द्वारा रहन हटाने की बात कही थी लेकिन रहन नहीं हटाया गया इसलिए प्रतिवादी क्रम 2 के बेचान हिस्से की भूमि के बदले में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की भूमि 0.32 हे0 दक्षिणी – पूर्वी भूमि का वादी के पक्ष में इन्तकाल खुलवाये जाने के लिए प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पूर्णरूप से सहमत है। इसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को कोई ऐतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

4– यह कि मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 के हिस्से में से प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की भूमि मे से 0.32 है० भूमि वादी के नाम खाते दर्ज कर दी जायें तथा वादी के 0.32 हे० भूमि दक्षिणी–पूर्वी भूमि का पृथक से खसरा नं० व लगान तय कर दिये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को कोई ऐतराज नही है।

5– यह कि उक्त राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 ने आपसी सहमति से एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर माननीय न्यायालय में यह राजीनामा पेश किया है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार दावा डिक्री, निर्णय किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 को कोई आपत्ति नही हैं अतः मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री, निर्णीत किया जावे।

उक्त राजीनामें में सभी पक्षकार आपस में सहमत होने से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामाअनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 के हिस्से में से प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की भूमि में से 0.32 है0 भूमि वादी के नाम खाते दर्ज किये जाने तथा वादी के 0.32 है0 भूमि दक्षिण–पूर्वी भूमि का पृथक से खसरा न0 व लगान तय किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पारित निर्णय अनुसार पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व शुल्क लिया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप चंदेल जाति खटीक निवासी म0 न0 ए–104 राजीव गांधी नगर कोटा जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– पकज पुत्र मथुरालाल जाति बागडी निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज

2– मथुरालाल पुत्र रणजीत जाति बागडी निवासी ग्राम गलाना तहसील दीगोद जिला कोटा

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से श्री विवेक शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट

मिसल न 164 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उभय पक्ष के अधिवक्ताओ ने प्रस्तुत सहमति से राजीनामा को वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की पक्षकारान के मध्य राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत हुआ है –

यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान के माननीय न्यायालय मे जैरकार है उक्त वाद मे लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है जिसके तहत निम्न निवेदन करते है

1– यह कि वाकै ग्राम बमूली पटवार हल्का बौमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा राज० मे खाता स० 33 खसरा न0 9 रकबा 2.66 हे० भूमि मे से 0.32 हे० भूमि दक्षिणी पूर्वी भूमि स्थित है।

2– यह कि उक्त वर्णित आराजी खसरा न0 9 रकबा 2.66 हे० भूमि मे से 0.32 हे० भूमि जये विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनाक 03 11 2025 को वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से खरीद की है तब से वादी काबिज काश्त चला आ रहा है।

3–यह कि उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बेचान की गयी थी तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पिता पुत्र होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने शामलाती रूप से वादी को

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

रहन पत्र करवा दिया था परन्तु प्रतिवादी कम 2 मथुरालाल के द्वारा रहन हटाने की बात कही थी लेकिन रहन नही हटाया गया इसलिए प्रतिवादी कम 2 के बेचान हिस्से की भूमि के बदले मे प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की भूमि 0.32 हे0 दक्षिणी – पूर्वी भूमि का वादी के पक्ष मे इन्तकाल खुलवाये जाने के लिए प्रतिवादी कम 1 व 2 पूर्णरूप से सहमत है। इसमें वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 को कोई ऐतराज नही है।

4 यह कि मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 2 के हिस्से में से प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की भूमि मे से 0.32 हे० भूमि वादी के नाम खाते दर्ज कर दी जाये तथा वादी के 0.32 हे० भूमि दक्षिणी–पूर्वी भूमि का पृथक से खसरा नं० व लगान तय कर दिये जाने मे प्रतिवादी कम 1 व 2 को कोई ऐतराज नही है।

5 यह कि उक्त राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 2 ने आपसी सहमति से एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर माननीय न्यायालय मे यह राजीनामा पेश किया है।

उक्त राजीनामे मे सभी पक्षकार आपस में सहमत होने से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामाअनुसार वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 2 के हिस्से में से प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की भूमि में से 0.32 है0 भूमि वादी के नाम खाते दर्ज किये जाने तथा वादी के 0.32 है0 भूमि दक्षिण–पूर्वी भूमि का पृथक से खसरा न0 व लगान तय किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पारित निर्णय अनुसार पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व शुल्क लिया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 18/11/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)